न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 40/अपील/19 तारीख दायरा 21.06.19

जमना लाल आ0 बिरधा माली निवासी बोरखेड़ी मालियान तहसील अकलेरा

----------------अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा

----------------रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 09.05.19 मि0न0 952/19

उपस्थितः–

--:: निर्णय ::– दिनांक 29.08.19

अपीलान्ट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक तहसीलदार अकलेरा के आदेश दिनांक 09.05.19 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है– अपील मेमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं पत्रावली सग्रहसार के सर्वथा विरूद्ध होने से निरस्तनीय है–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बोरखेडी मालियान की आराजी ख0न0 122 की 1.10 बीघा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर 60/– जुर्माना व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सबूत सुनवाई का मोका दिये एक तरफा निर्णय पारित किया गया है–अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकमी की श्रेणी में नही आता है अपीलान्ट का विवादित आराजी भूमि पर कोई कब्जा नही है ना ही भविष्य में कब्जा करना चाहता है। अतः अपील अवधि मध्य मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.19 निरस्त फरमाया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

अपीलान्ट एवं विद्वान वकील अपीलान्ट आज न्यायालय समय समाप्त होने तक भी हाजिर अदालत नही हुए है– अतः हम इस अपील को अदम हाजरी मे खारिज करने की बजाय इस अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते है।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजा को देखा–अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात से मालूम होता है कि अपीलान्ट द्वारा पुनः सार्वजनिक उपयोग–चारागाह की भूमि पर अतिकमण किया गया है, उक्त अतिकमण पश्चातवर्ती अतिकमण की श्रेणी में आता है– अपीलान्ट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिचार सन्देह से परे साबित है, ओर ना ही उसके द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे साबित हो कि उसके द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा हटा लिया है। अतः अपीलान्ट इस अपील के माध्यम से किसी तरह की राहत पाने का पात्र नही है। अपील अपीलान्ट सारहिन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.08.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड